न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/208/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/500

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री लोकेश खण्डेलवाल, निवासी–चन्द्र भवन, लाल गेट, अलवर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 01.12.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04.01.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 28.10.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक श्री दीपक माथुर, अधिशाषी अभियन्ता की पे–स्लिप, पदस्थापन अवधि, उनके कार्यकाल के दौरान कराये गये विकास कार्यो संबंधी कुल 04 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 29.11.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 14992/21 दिनांकः 24.12.2021, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस पेश किया गया। जवाब का विधिक परीक्षण किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा RTI आवेदन–पत्र दिनांकः 28.10.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित निर्धारित समयावधि में सूचित नहीं किया गया है बल्कि अपीलार्थी के इस न्यायालय को प्रस्तुत प्रश्नगत प्रथम अपील के अनुसरण में सूचित किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मूल उद्येश्य, भावना के प्रतिकूल है।
7. RTI आवेदन के बिन्दु सं. 01 व 03 में वांछित सूचना निजी सूचना होने व विस्तृत जनहित से जुडी हुई नहीं होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत देय नहीं है। शेष बिन्दु सं. 02 व 04 के संबंध में अभिलेखानुसार व अधिनियम के विधिक प्रावधानानुसार अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

जिला कलक्टर, अलवर

8. अस्तु, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।

9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में ही विनिश्चय किया जाना सुनिश्चित करावें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. आज दिनांकः 04.01.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर